From,

Atul Pal,
Nodal Officer (Computer)/
Civil Judge (S.D.) F.T.C.,
Azamgarh,

To,

The Joint Registrar (J) (Computer),
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad,
Allahabad,

Through,

The District Judge,
Azamgarh,

Subject: **Regarding uploading the notification for the appointment of counsellors under Rule 26(1) of the Uttar Pradesh Family Courts Rules, 1995, in the Family Courts established under the Family Courts Act, 1904 on the website of the Hon'ble High Court Allahabad.**

Sir,

With due respect this is to submit that in compliance of the Hon'ble Princial Judge, Family Court's Azamgarh order dated 06.10.2026 on the subject mentioned above the notification for the appointment of counsellors under Rule 26(1) of the Uttar Pradesh Family Courts Rules, 1995, in the Family Courts established under the Family Courts Act, 1904, be uploaded on the website of the Hon'ble High Court Allahabad.

It is, therefore, requested that kindly put up the same before the Hon'ble High Court Allahabad for issuing the necessary directions to upload the same on the website of the Hon'ble High Court Allahabad.

With regards,

Yours faithfully,

Dated 08.10.2026

08/10/2026

(Atul Pal)
Nodal Officer (Computer)/
Civil Judge (S.D.) F.T.C.,
Azamgarh.

Encl : As above,

Office of the District Judge, Azamgarh
Letter No. 1907/I ...Date.... 09.10.2026
Forwarded for information and necessary action
9/10/26
District & Sessions Judge
Azamgarh

From,

Atul Pal,
Nodal Officer (Computer)/
Civil Judge (S.D.) F.T.C.,
Azamgarh,

To,

The Joint Registrar (J) (Computer),
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad,
Allahabad,

Through,

The District Judge,
Azamgarh,

Subject: **Regarding uploading the notification for the appointment of counsellors under Rule 26(1) of the Uttar Pradesh Family Courts Rules, 1995, in the Family Courts established under the Family Courts Act, 1904 on the website of the Hon'ble High Court Allahabad.**

Sir,

With due respect this is to submit that in compliance of the Hon'ble Princial Judge, Family Court's Azamgarh order dated 06.10.2026 on the subject mentioned above the notification for the appointment of counsellors under Rule 26(1) of the Uttar Pradesh Family Courts Rules, 1995, in the Family Courts established under the Family Courts Act, 1904, be uploaded on the website of the Hon'ble High Court Allahabad.

It is, therefore, requested that kindly put up the same before the Hon'ble High Court Allahabad for issuing the necessary directions to upload the same on the website of the Hon'ble High Court Allahabad.

With regards,

Yours faithfully,

Dated 08.10.2026

08/10/2026

(Atul Pal)
Nodal Officer (Computer)/
Civil Judge (S.D.) F.T.C.,
Azamgarh.

Encl : As above,

Office of the District Judge, Azamgarh
Letter No. 1907/I Date 09.10.2026
Forwarded for information and necessary action
9/10/26
District & Sessions Judge
Azamgarh

No. 3038/XN
06/10/2026

प्रेषक,

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,,
आजमगढ़।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
आजमगढ़।

पत्रांक 192 / P.J.F.C. Azamgarh, दिनांक अक्टूबर 06, 2026।

विषय- **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सम्मानित पत्रांक सं० 7659/S.F.C.M. Cell/Lucknow, Dated 14.09.2026 की विज्ञप्ति, सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ई-पोर्टल पर तथा जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के ई-पोर्टल पर प्रकाशित कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विषयांकित पत्रांक के अनुपालन में कुटुम्ब न्यायालय, आजमगढ़ में कुल 04 (चार) परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है, जिसकी विज्ञप्ति स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ के माध्यम से प्रकाशित करायी गयी है। इस विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि उक्त विषयांकित विज्ञप्ति की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ई-पोर्टल एवं जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के ई-पोर्टल पर प्रकाशित की जाय।

अतः उक्त के सम्बन्ध में सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करने का कष्ट करें, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विषयांकित पत्रांक/आदेश का सम्यक रूप से अनुपालन किया जा सके तथा आम-जनमानस तक इस विज्ञप्ति की सूचना प्रकाशित व प्रसारित किया जा सके।

06/10/2026

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
आजमगढ़।

दिनांक-06.10.2026

संलग्नक-

1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं० 7659/S.F.C.M. Cell/Lucknow, Dated 14.09.2026 की छायाप्रति।
2. समाचार पत्र की प्रति।

Seen Send it to Nodal officer Computer/System Assistant for n.a.

UCDJ
06.10.2026

Seen

Through E-mail

HIGH COURT AT ALLAHABAD

From,

Registrar General
High Court of Judicature at Allahabad

To,

The Principal Judges,
Family Courts,
Muzaffarnagar, Kanpur Nagar, Allahabad, Shravasti, Pratapgarh, Ballia, Lucknow, Azamgarh, Kushinagar, Lakhimpur Kheri and Unnao.

Letter no. 7659 **/S.F.C.M. Cell/Lucknow, Dated :** 14.09.2026.

Subject :- **Request for issuing fresh advertisement on the post of 17 Counsellors appointed in different Family Courts vide Government Notification No. 28/2020/1449/VII-Nyay-2-2020-153G/2019, dated 13.10.2020, and term of which was subsequently extended vide Government Notification No. 1094/VII-Nyay-2-2023-101G/2022 dated 11.12.2023.**

Madam/Sir,

With reference to the above captioned subject, I have been directed to inform you that the Hon'ble Committee to deal with the matters relating to '*Sensitization of Family Court Matters*' vide **order dated 11.09.026**, has been pleased to direct that the concerned Principal Judges of Family Courts be requested to issue fresh advertisements on the post of Counsellors who were appointed vide **Government Notification No. 28/2020/1449/VII-Nyay-2-2020-153G/2019, dated 13.10.2020**, whose term was subsequently extended vide **Government Notification No. 1094/VII-Nyay-2-2023-101G/2022 dated 11.12.2023.**

It is further directed by the Hon'ble Committee that the applications so received be forwarded to the Government of Uttar Pradesh in accordance with **Government Order No. 102/VII/Nyay-2-2015-728/86 dated 18.06.2015**, with a copy of the communication forwarding such applications be intimated to this Hon'ble Court. The aforesaid process may preferably be completed by the concerned Principal Judges **at the earliest**, so as to ensure continuous availability of services of Counsellors in the Family Courts.

You are therefore, requested to kindly take further necessary action in the matter as may be required at your end.

Encls:
1. Copy of Government Notification No. 28/2020/1449/VII-Nyay-2-2020-153G/2019, dated 13.10.2020.
2. Copy of Government Notification No. 1094/VII-Nyay-2-2023-101G/2022 dated 11.12.2023.
3. Copy of Government Order No. 102/VII/Nyay-2-2015-728/86 dated 18.06.2015.

Yours faithfully,

14.09.26

(Mayank Tripathi-I)
gistrar (J) (Digitization)
"for Registrar General"

संख्या–102/सात–न्याय–2–2015–728/86

प्रेषक,

इसरार अहमद,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख न्यायाधीश/न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ:दिनांक: 1X जून, 2015

विषय:–कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियमावली, 1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–14583/2008/एडमिन"जी0आई", दिनांक 19–11–2008 के साथ प्राप्त गाईडलाइन्स के सन्दर्भ में मा0 महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त कर गाईडलाइन्स के बिन्दु संख्या–5 एवं 7 में शासनादेश दिनांक 16–04–2014 द्वारा सूक्ष्म संशोधन के आदेश जारी किये जा चुके हैं। तद्नुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1542/सात–न्याय–2–2001–728/86, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 को निरस्त करते हुए प्रदेश में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों की सहायता हेतु परामर्शदाताओं की आबद्धता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है:–

(1) अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
(2) यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति करने में कोई बाधा नहीं है।
(3) शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हैं और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
(4) विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(5) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

(6) राज्य सरकार से आये परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर मा0 उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

(7) परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

(8) परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

(9) परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

2 कृपया उक्त प्रकिया का अनुपालन करते हुए आवेदन पत्र आमन्त्रित कर अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 न्यायालय के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति की जा सके।

भवदीय,

(इसरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या– 102(1)/सात–न्याय–2–2015, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निबन्धक (जुडिशियल) (इन्सपेक्शन), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–707/2015/एडमिन "जी–1, दिनांक 17–01–2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(इसरार अहमद)
विशेष सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN

NYAYA ANUBHAG-2 (ADHINASTHA NYAYALAYA)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Govemor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-28/2020/1449/VII-Nyay-2-2020-153G/2019, dated 13 October, 2020.

NOTIFICATION

No.-28/2020/1449/VII-Nyay-2- 2020-153G/2019

Lucknow : Dated : 13 October, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Family Courts Act, 1984 (Act no.66 of 1984) and sub-rule (1) of the rule 26 the Uttar Pradesh Family Courts Rules, 1995 the Govemor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to engage the following persons as Councellor in the Family Courts In Districts mentioned against each in Column-2 of the Schedule below for three years with effect from the date of their taking over charge

Schedule

S. No	Name Of District	Name and Address	Date of birth
1	2	3	4
1	Lucknow	1. Ms. Jyotsna Giri D/O Sri S.N. Giri 361, Radha Krishna Mandir Lane, Narhi, Lucknow	25.06.1971
		2. Ms. Abha Saxena D/O Late K.K. Saxena Flat No. 306A, Third Floor, Ujala Apartments, Sector 20, Indira Nagar, Lucknow	04.03.1969
2	Allahabad	1. Sri Virendra Singh R/o Village and post Ramaipur Police Station, Sarai Inayat, Allahabad.	10.03.1978
		2. Smt. Shweta Singh R/o kesarwani Cement Store near labour Crossing, Allahpur, Prayagraj.	01.01.1984
		3. Sushri Sandhya Kumari R/o 444/16A/1 Indrapuri Colony new Baihrana, Allahabad.	03.06.1981
		4. Sri uday Raj Singh R/o Village Purekhagan post Bagwana, Police Station-Ghoorpur, Tehsil- Karchana.	06.05.1979
		5. Sushri Sushila Devi R/o Sarhad Indira Nagar, Manikpur, Chitrakoot Karvi	01.01.1970

g mangal go

3	Azamgarh	1. Sri Shravan Kumar Gupta R/o Mog. Asifganj, Post Sadar, Police Station Kotwali, Azamgarh.	01.07.1970
		2. Sri Chandra Prakash Singh R/o Village & Post Heera Patti. Tehsil- Sadar, Azamgarh.	02.01.1978
		3. Sri Vinay Kumar Tiwari R/o Village coalbajbahadur, Gokulnagar, Sector-1, Post-Bhawarnath, Police Station- Kotwali, Azamgarh.	01.11.1979
		4. Sri Kuldeep Kumar Singh, R/o Village Dhaurhara, Post Kabiruddinpur, P.S.- Atraulia, Tehsil- Budhanpur, Azamgarh	01.01.1976
4	Ballia	1. Sushri Nootan Srivastava R/o Quarter no. III-20, Collectorate Colony near Shiv Mandir, Civil Lines, Ballia.	01.07.1977
5	Kanpur Nagar	1. Sushri, Sangeeta Gupta R/o H. No. 13A, Netaji Nagar, PAC road, Kanpur Nagar.	01.04.1979
6	Kushinagar	1. Sri Vindhvasini Kumar Tripathi R/o Village Ahirauli Rai, Post-Ahirauli Bazar, P.S. Kasia Kushinagar.	24.08.1981
7	Lakhimpur Khiri	1. Smt. Nidhi Lata R/o Narayan Vihar Colony, Udaipur Mahewa, District-Lakhimpur Khiri.	04.07.1978
		2. Smt. Sunita Devi R/o Moh. Gautaiya Bagh, P.S. Kotwali, Lakhimpur Khiri.	15.06.1978
		3. Smt Urmila Singh R/o near Pandey Baba mandir, Palia Kalan, District-Lakhimpur Khiri.	20.10.1976
8	Muzaffarnagar	1. Sri Pravin Kumar R/o H. No. 23/1, Gali no. 14, Gandhi Colony, Muzaffarnagar.	01.06.1974
9	Pratapgarh	1. Sushri Mamta Singh R/o Village & Post- Kushfarah, P.S.- Mandhata, District- Pratapgarh.	20.07.1979

g mangal go

		2. Sushri Meera Aditya R/o Karnapur, katra Road, Near Krishi Bhawan, Post-Pratapgarh, District-Pratapgarh	15.08.1981
		3. Sushri Minni Shukla , Advocate R/o Shukulpur, Dahila Mau, Sadar, Pratapgarh	15.07.1975
10	Shravasti	1. Sushri Mahima Tiwari R/o village Kamdi, Post-Vishunapur Lohri, P.S.-Sirsiya, District-Sharavasti.	01.07.1973
11	Unnao	1. Sri Arindam R/o Village Shivdeen khera (Chotkawa Khera), Post-Newrana District- Unnao.	01.04.1964
		2. Sushri Rubi Gyawali R/o 117Q/4, Indirapuri Kanpur.	28.06.1973
		3. Smt. Sabina Umar R/o 466 Jawahar Nagar (Gupta Colony), Unnao.	10.10.1962

2- The engagement of the persons for the post of Councellor is not appointment in Government Service and they will be attached to the respective Courts on contract basis.

3- After completion of tenure of three years, the candidates may be considered for next tenure on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad.

4- The engaged persons will receive such remuneration as may be determined by the State Government from time to time.

By Order,

(J.P. Singh-II)
Principal Secretary

संख्या -1094/सात-न्याय-2-2023-101जी/2022

प्रेषक,

गजेन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ: दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

विषय:- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में आबद्ध परामर्शदाताओं के कार्यकाल में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13555/एस.एफ.सी.एम.सेल/इलाहाबाद दिनांक 13.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 11 जनपदों में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में आबद्ध परामर्शदाताओं के कार्यकाल में 03 वर्ष की वृद्धि हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 11 जनपदों में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं को अधिसूचना संख्या-28/2020/1449/सात-न्याय-2-2020-153जी/2019 दिनांक 13.10.2020 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये आबद्ध किया गया था।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26 के उपनियम (1) के साथ पठित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से संलग्न सूची के कालम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त सूची के कालम-2 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित जिलों में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में आबद्ध परामर्शदाताओं के कार्यकाल में 03 वर्ष की वृद्धि करती हैं।

4. उक्त संलग्न सूची में उल्लिखित परामर्शदाताओं की आबद्धता अधिसूचना संख्या-28/2020/1449/सात-न्याय-2-2020-153जी/2019 दिनांक 13.10.2020 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेगी।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(गजेन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या-1094(1)/सात-न्याय-2-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सम्बंधित जिलाधिकारी।
4. सम्बंधित जनपद न्यायाधीश।
5. सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. न्याय अनुभाग-9 (बजट), उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-1094/सात-न्याय-2-2023-101जी/2022 दिनांक 11 दिसम्बर 2023 का संलग्नक ।

क्र0सं0	जिला का नाम	परामर्शदाता का नाम (श्री/ सुश्री/ श्रीमती)
1.	मुजफ्फनगर	प्रवीन कुमार
2.	कानपुर नगर	संगीता गुप्ता
3.	इलाहाबाद	श्वेता सिंह
		उदयराज सिंह
		वीरेन्द्र सिंह
4.	श्रावस्ती	महिमा तिवारी
5.	प्रतापगढ़	ममता सिंह
6.	बलिया	नूतन श्रीवास्तव
7.	लखनऊ	आभा सक्सेना
		ज्योत्सना गिरी
8.	आजमगढ़	कुलदीप कुमार सिंह
		श्रवण कुमार गुप्ता
		विनय कुमार तिवारी
		विन्धवासिनी कुमार त्रिपाठी
9.	कुशीनगर	निधि लता
10.	लखीमपुर खीरी	उर्मिला सिंह
11.	उन्नाव	अरिन्दम

(राजेन्द्र)
विशेष सचिव।

सब पर नजर

निष्पक्ष एवं निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

दैनिक मान्यवर

वाराणसी एवं जौनपुर से प्रकाशित

Website : www.dainikmanyavar.com

वर्ष- 20 अंक- 58
वाराणसी-शुक्रवार
भा.शु .14 संवत 2083
25 सितंबर 2026
मूल्य रु. 3, पृष्ठ-8

संत रविदास की प्रतिमा खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश; अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की

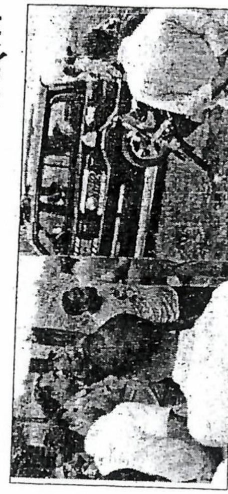

संत रविदास की प्रतिमा खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश; अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांगगाजीपुर जिले के कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के शाहपुर उसरी ग्राम सभा में अज्ञात लोगों ने संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा खंडित कर दी। गुरुवार सुबह जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जुट गए और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्राम प्रधान बृजेश यादव ने बताया कि फक्करबाद चट्टी से करीब 300 मीटर दूर संत रविदास की प्रतिमा स्थापित है। सुबह ग्रामीणों ने प्रतिमा कई हिस्सों में खंडित होने की सूचना दी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।

अवैध शराब के धंधे में लिप्त तीन महिलाओं को किया गिरफ्तार

फरेंदा। बृजमनगंज पुलिस ने बुधवार को ग्राम पंचायत शिवपुर के धोबी टोला में छापा मारकर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 12 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। ग्राम पंचायत शिवपुर के धोबी टोला में अवैध शराब के अड्डों पर पुलिस टीम ने छापा मारते ही धंधेबाजों में इधर-उधर भागने लगे। कई कारोबारी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कुल 12 लीटर कच्ची शराब, चार पतीला, दो चोंगा, तीन 50-50 लीटर की गैलन, पांच किलो लहन, दो किलो नौसादर बरामद किया।

...श सुनील मौर्य के प्रथम कार्यकर्ताओं का हुजूम

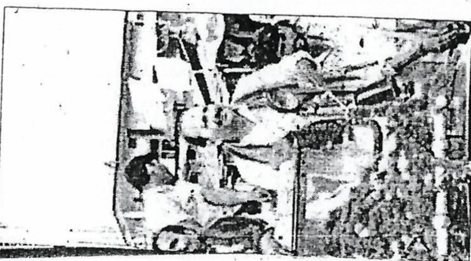

मेरे लिए सर्वोपरि है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है उस पर शतप्रतिशत खरा उतरने का काम करूंगा और 2027 में बलिया के सातों सीट जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान करूंगा।

निवर्तमान जिलाध्यक्ष/विधायक संग्राम सिंह यादव ने सबसे पहले उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अम्बिका चौधरी, विधायक मु. जियाउद्दीन रिजवी, विधायक जयप्रकाश अंचल, पूर्व विधायक श्रीमती मंजू सिंह, सपा नेता रंजीत चौधरी, संजय उपाध्याय, अरविन्द गिरी, यशपाल सिंह, डा. विश्राम यादव, नीरज सिंह गुड्डू, सुशील पाण्डेय कान्हजी, राजेश गोंड़, रामजी गुप्ता, रामजी यादव, बलजीत कुशवाहा, सुभाष चौहान, जय प्रकाश मुन्ना, धनंजय विशेन, विकेश सिंह सोनू, शशिकांत चतुर्वेदी, राजन कन्नौजिया, रामेश्वर पासवान, रोहित चौबे, आशुतोष ओझा अनिल राय, जलालुद्दीन जेडी, अजय यादव, धनजी यादव, चंदन यादव, सर्वजीत यादव, विजय शंकर यादव, सुभाष यादव, गुरूजू लाल राजभर, रवींद्र यादव, अखिलेश गुप्ता, मंटू साहनी, जगमोहन बिंद, हरेन्द्र गोंड, अटल पाण्डेय, रामनाथ पटेल, बलराम यादव, विनायक मौर्य हरेंद्र राम नीरज यादव, संचालन वीरबल राम ने किया।

...समाचार

...बाल खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

है। खिलाड़ियों का कहना है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर मंडल के लिए पदक जीतने का प्रयास करेंगे। टीम के रवाना होने के साथ ही खेल प्रेमियों की निगाहें अब प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी हैं। सचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि टीम काफी संतुलित है खिलाड़ियों में उत्कर्ष सिंह, दीपांशु, मोहम्मद अनस, सत्यम, अनमोल, देवराज सिंह, सुमित कुमार, आशीष कन्नौजिया, आयुष विश्वकर्मा, शाहरुख खान, आशीष कुमार राय, सिद्धार्थ सिंह, प्रांजल प्रताप सिंह, धर्मवीर यादव, सागर सवन, हार्दिक कुमार, आदित्य गोंड, अखिल सिंह, चंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे।

सिटी स्टेशन के लिए रेल महाप्रबंधक को भेजा पत्र

आजमगढ़। सराय रानी रेलवे स्टेशन को फिर से सिटी स्टेशन का दर्जा देने, प्रमुख ट्रेनों का ठहराव शुरू कराने और यात्री सुविधाओं में इजाफा करने की मांग को लेकर आवाज तेज हो गई है। बुधवार को सराय रानी विकास समिति के सदस्यों ने स्टेशन परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद परिसर में साफ-सफाई अभियान चलाकर रेलवे प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर खींचा। समिति ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र भेजकर मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। समिति के अजय सैनी ने बताया कि आजमगढ़-शाहगंज रेल मार्ग पर शहर से करीब सात किलोमीटर दूर स्थित सराय रानी स्टेशन आसपास के दर्जनों गांवों के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद यहां पर्याप्त ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। प्रदर्शन में अमरजीत यादव, दिलीप ठठेरा, विष्णु देव पटवा, महेश वर्मा, बृजबिहारी वर्मा, जय प्रकाश, रामप्रवेश, अनिल यादव, सचिन वर्मा, रजनीश, सुभाष वर्नवाल, संतोष यादव, मोतीलाल और अंकुर शामिल रहे।

कुटुंब न्यायालय, आजमगढ़ में परामर्शदाताओं के 4 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

आजमगढ़। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश एवं पत्रांक संख्या 7659/S.F.C.M. Cell/Lucknow (दिनांक 14.09.2026) के अनुपालन में, जनपद के कुटुंब न्यायालय, आजमगढ़ में परामर्शदाता (काउंसलर) के कुल 04 रिक्त पदों पर संविदा आधारित नवीन नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता और आयु सीमा ?जारी प्रक्रिया के अनुसार, यह विशेष प्रयास किया जाएगा कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति उसी जिले से संबंधित हों जहाँ कुटुंब न्यायालय स्थित है। हालांकि, यदि स्थानीय स्तर पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अन्य जिलों के योग्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ?परामर्शदाता पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समाजशास्त्र या मनोविज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री तथा समाज सेवा का अनुभव निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री है और जिन्हें कुटुंब काउंसलिंग का 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। उन्हें चयन प्रक्रिया में विशेष वरीयता दी जाएगी। ?कुटुंब न्यायालय में परामर्शदाता के पद पर यह नियुक्ति शासकीय सेवा के अंतर्गत नियमित नियुक्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि यह पूरी तरह से न्यायालय की संविदा के आधार पर आबद्ध होगी। प्रारंभ में इनका कार्यकाल 03 वर्ष का होगा, और संतोषजनक सेवा एवं उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर आगे विचार किया जा सकता है। ?प्राप्त आवेदनों की राज्य सरकार द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी और प्रत्येक पद के सापेक्ष पांच योग्य लोगों की सूची तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की जाएगी।